REGIONAL OFFICE





RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

SPL-2, 5th Phase, RIICO Ind. Area, Kishangarh Dist. Ajmer Email: rorpcb.kishangarh@gmail.com

RPCB/RO KSG/PUB-234/ 3735

Date: 07.02.2023

Sh. Sunil Kumar Ashwani S/o Sh. Bhagwan Das & Others, Sankhla Colony, Collage Road, Beawar, Tehsil Beawar, District Ajmer

Sub.:- Public hearing for Environmental Clearance for Granite cluster mining project, Total Cluster Area 6.9518 Hectares, Total cluster production capacity 606613.5 TPA, Village Kadera & Kachariya, Tehsil Kekri, District Ajmer applied by Sh. Sunil Kumar Ashwani S/o Sh. Bhagwan Das, Sh. Anand Lal Shahu S/o Sh. Chhotu Lal Shahu, & Sh. Rajesh Bohra S/o Sh. Pukhraj Bohra, M.L. No. 14/2021.

Ref.:- Office of District Collector& District Magistrate, Ajmer letter no. 1587-1600 dated 04/02/2023.

Sir.

In reference to above please find enclosed a public notice to be published in one major National Daily news paper and one Regional vernacular Daily/official state language news paper in any case on or before 18/02/2023. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at Rajeev Gandhi Seva Kendra, Kadera, Tehsil Kekri, District Ajmer at 02:00 PM on dated 20/03/2023 for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

Yours sincerely,

(Deepak Tanwar) Environmental Engineer &Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary (SEAC), Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Instituional Area, Jhalana Doongri, Jaipur.

2. The Additional District Collector & District Magistrate (City), Collectorate Office, Ajmer in compliance to letter no.1587-1600 dated 04/02/2023.

Analyst Cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jhalana Doongari, Jaipur to display public notice on website of the State Board.

Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2,पंचम चरण,रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)

राप्रनिम / क्षेका किश / पीयूबी-234 /

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आमसूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार आसवानी पुत्र श्री भगवान दास, श्री आनन्द लाल साहू पुत्र श्री छोटू लाल साहू एवं श्री राजेश बोहरा पुत्र श्री पुखराज बोहरा, खनन पटट्र संख्या 14/2021 ग्राम कादेड़ा द्वारा ग्रेनाईट खनिज क्लस्टर खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:--

क्र.	क्रिकेट से हिन्स अपने मार्थाजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हिन					
	प्रोजेक्ट का नाम	खनन पटट्ा	क्षेत्रफल	ग्राम	खनिज का नाम	उत्पादन क्षमता
₹1.		संख्या	हैक्टेयर में			उरमायम दान्ता
1	श्री सुनील कुमार आसवानी पुत्र श्री	14/2021	1.1082		\	
	भगवान दास, श्री आनन्द लाल साह्	, 2021	1.1002	कादेड़ा	ग्रेनाईट	55247 टीपीए
	पुत्र श्री छोटू लाल साहू एवं श्री					
	राजेश बोहरा पुत्र श्री पुखराज					
	बोहरा, खसरा संख्या 94, 95, एवं					
	326					
-						
2	श्री पारसमल डबरिया	60/2018	1.0633	काचरिया	ग्रेनाईट	100000 टीपीए
3	श्री मांगीलाल रैगर	62/2018	1.7067	कादेडा	ग्रेनाईट	-
4	श्री खेमचंद लोढ़ा	63/2018	2.0491	कादेडा		160000 टीपीए
		12, 2010	2.0731	पगदड़ा	ग्रेनाईट एवं	183798.5 टीपीए
5	श्री आनंद लाल साहू	04 /0040			मैसनरी स्टोन	
	and the	84/2018	1.0245	कादेड़ा	ग्रेनाईट एवं	107568 टीपीए
					मैसनरी स्टोन	

कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 6.9518 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 606613.5 टीपीए, ग्राम कादेड़ा एवं काचिरया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

- 2. और चूंकि श्री सुनील कुमार आसवानी पुत्र श्री भगवान दास, श्री आनन्द लाल साहू पुत्र श्री छोटू लाल साहू एवं श्री राजेश बोहरा पुत्र श्री पुखराज बोहरा, खनन पटटा संख्या 14/2021 ग्राम कादेड़ा ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
- 3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:--
 - 1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,अजमेर।
 - 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
 - 3. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, ०४, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 - 4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला–अजमेर।
 - तहसील–केकड़ी, जिला–अजमेर।
 - 6. राजीव गांधी सेवा केन्द्र, कादेड़ा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/सामान्य/2023/1587—1600 दिनांक 04.02.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 20/03/2023 को दोपहर 02:00 बजे, स्थान—राजीव गांधी सेवा केन्द्र, कादेड़ा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला—अजमेर को भी दिये जा सकते है।

> (दीपक तँवर) पर्यावरणीय अभियंता एवं क्षेत्रीय अधिकारी